सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 09, बुधवार, *शाके* 1947- अक्टूबर 01, 2025
Asvina 09, Wednesday, Saka 1947- October 01, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय कलेक्टर एवं, जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 01, 2025

संख्या न्याय/ग्रुप-II/स्पीड लिमिट/परिवहन/2025/ :-मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत बने राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 8.1 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 11.09.2025 (प्रकाशित दिनांक 18.09.2025) को अतिक्रमित करते हुयेमैं डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन एच148 (मनोहरपुर-दौसा खण्ड) पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा, व्यापक जनहित एवं सुरक्षा की दृष्टि से नियंत्रित करते हुए विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए उनके अग्र अंकित अनुसार तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निर्धारित करता हूँ।

(अधिकतम गति किलोमीटर घण्टा में)

क्र.सं.	विवरण	भार वाहन			यात्री वाहन			
		ट्रोला	ट्रक	हल्के भार वाहन	मध्यम/भारी यात्री वाहन	हल्के चार पहिया	तीन पहिया	दो पहिया
1	एन एच148 दौसा से मनोहरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग	50	60	60	60	70	50	60

पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक न्याय/ग्रुप-II/स्पीड लिमिट/परिवहन/2022/1602 दिनांक 14.06.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए उपरोक्त तालिका में अंकित अधिकतम गति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन एच 148 (मनोहरपुर-दौसा खण्ड) के 4 लेन के विभाजित वहन मार्ग (Divided Carriage Way) हो जाने तक प्रभावी होगी। उपरोक्त अधिसूचना की अवहेलना करने पर मोटर यान अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी,
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रे जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।